17/03/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपा. प्रा.पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल किया जाकर नंबर से कट हो।

GCMS 2023/505

निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.03.18 16:04:45 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

कृष्ण आदि बनाम धोंकलराम वगैरा

किस्म मुकदमाः– 212 आर0टी0ए0 प्रकरण संख्याः–101/2023 (GCMS No. 2023/505)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.03.2025	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने बताया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के पिता अप्रार्थी संख्या 01 की भूमि वाके रोही सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 133/117 के खसरा नं. 422/14.948 हैक्टर बारानी दोयम, खसरा नं. 428 में 0.468 हैक्टर बारानी दोयम कुल 15.416 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त रकबा प्रार्थीगण के पिता अप्रार्थी संख्या 01 को अपने दादा गुला वल्द जोधा से प्राप्त हुआ है। उक्त जैरवाद भूमि में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2–3 की बहन अप्रार्थी संख्या 5 ने अपना हक व हिस्सा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 को दे दिया है। अप्रार्थी संख्या–4 अपना हक व हिस्सा प्राप्त नही करना चाहती है। जैरवाद रकबा पैतृक व सहदायी सम्पति है। प्रार्थीगण का उक्त रकबा में जन्म से ही अधिकार है। प्रार्थीगण का जैरवाद भूमि में प्रत्येक का 1/5 कुल 2/5 हिस्सा है। अप्रार्थी संख्या–01 नशेड़ी व बदयन्त किस्म का व्यक्ति है। जो जैरवाद भूमि अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के साथ मिलकर खुर्द–बुर्द करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या–1 ने प्रार्थीगण को उनके हक व हिस्सा की भूमि देने से इन्कार कर दिया है तथा रकबा अन्य को हस्तान्तकरण करने की धमकी दी है। यदि उन्होने ऐसा कर दिया तो प्रार्थीगण का ना पुरा होने वाला नुकसान होगा। अतः प्रार्थन पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 08.06.2023 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वाद पत्र के निर्णय तक स्थाई किया जावें। वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित प्रश्नगत रकबा अप्रार्थी संख्या–01 का पैतृक है या नही? यह वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्यों तथा मौखिक साक्ष्यों के उपरान्त ही तय होना है। जिसमें प्रार्थीगण का हक व हिस्सा बनता है या नही? यह भी वाद पत्र में तय होना है। यदि वाद पत्र के निर्णय से पहले अप्रार्थी संख्या–01 द्वारा जैरवाद रकबा को बेचान या हस्तातरंण कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को ना पुरा होने वाला नुकसान संभव है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी–01 को पाबंद किया जाता है कि वे रोही सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 133/117 के खसरा नं. 422 में 14.948 हैक्टर तथा खसरा नं. 428/0.468 हैक्टर कुल 15.416 हैक्टर बारानी दोयम भूमि में से 2/6 हिस्सा भूमि की वाद पत्र के निर्णय तक रहन, बैय व अन्य तरीके से हस्तातंरण नही करें। कुल भूमि में से 2/6 हिस्सा के अलावा शेष भूमि पर उक्त स्थगन प्रभावी नही होगा। पत्रावली नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Sandeep Kumar Date: 2025.03.18 16:44:45 IST Reason: SelfAttested उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़